# निर्यात उन्मुख यूनिटों (ईओयू) पर उद्योग भवन, नई दिल्ली में 3 अप्रैल, 2014 को अपराह्न 3:00 बजे आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की पहली बैठक (2014 सीरीज) का एजेंडा

**भाग-1**

**8 नवंबर, 2013 को आयोजित 2013 के लिए ईओयू पर पिछली (अर्थात पांचवीं) बीओए के कार्यवृत्त की पुष्टि (अनुबंध-1)**

**भाग-2**

**नए प्रस्ताव**

**2.1 उनके एलओपी दिनांक 15 जुलाई, 2011 में सेवाओं को शामिल करने के लिए मैसर्स तारा एयरो स्पेस सिस्टम लिमिटेड, अदिबाटला गांव, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में वीएसईजेड के तहत 100 प्रतिशत ईओयू का प्रस्ताव**

**उपर्युक्त ईओयू यूनिट को एयरक्राफ्ट के लिए हेलिकाप्टर केबिन किट और पार्ट्स तथा अस्सेसरी के विनिर्माण और निर्यात के लिए 25 जुलाई, 2011 को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट ने 29 अगस्त, 2012 से अपना प्रचालन शुरू किया और नवंबर, 2013 की स्थित के अनुसार उसने 116.4 लाख अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा अर्जित की है।**

**यूनिट ने अब इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपने एलओपी में सेवाओं अर्थात मशीनिंग / शीट मेटल प्रेसिंग वर्क / ट्यूब शॉपिंग / वेल्डिंग / हीट ट्रीटमेंट / ब्रेजिंग / स्पेशल प्रोसेस / एनडीटी / निरीक्षण / स्टोर तथा सब असेंबली सेवाओं को शामिल करने के लिए अनुरोध किया है कि वे अपने व्यवसाय का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं तथा हेलिकाप्टर केबिन किट / एयरक्राफ्ट के लिए पार्ट्स और अस्सेसरीज के विनिर्माण / सेवा तथा निर्यात और मशीनिंग / शीट मेटल प्रेसिंग वर्क / ट्यूब शॉपिंग / वेल्डिंग / हीट ट्रीटमेंट / ब्रेजिंग / स्पेशल प्रोसेस / एनडीटी / निरीक्षण / स्टोर तथा सब असेंबली जैसे क्षेत्र में व्यवसाय के अनेक अवसरों पर काम करना चाहते हैं।**

**विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने अनुमोदन द्वारा विचार के लिए यूनिट के अनुरोध को अग्रेषित किया है।**

**तदनुसार, विचार के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।**

**2.2 100 प्रतिशत ईओयू योजना में जारी रहने के लिए 5 साल के बाद अपने ईओयू स्टेटस (जो 14 मार्च, 2013 को समाप्त हो गया है) के विस्तार के लिए मैसर्स सत्वायूर एक्ट्रैक्ट लिमिटेड, सीएसईजेड के तहत बंगलौर में 100 प्रतिशत ईओयू से प्रस्ताव**

**उपर्युक्त ईओयू यूनिट को स्पाइस ऑयल एवं आयलोरेजिंग, हर्बल एक्ट्रैक्ट तथा न्यूट्रास्यूटिकल के विनिर्माण और आयात के लिए विकास आयुक्त, सीएसईजेड द्वारा 8 दिसंबर, 1997 को एलओपी प्रदान किया गया था। पत्र दिनांक 10 अप्रैल, 2008 के माध्यम से एलओपी की अवधि 5 साल के लिए बढ़ाई गई थी। यूनिट ने 15 मार्च, 2003 से उत्पादन शुरू किया और 14 मार्च, 2013 तक और 5 साल के लिए विस्तार प्रदान किया गया। 14 मार्च, 2013 को समाप्त प्रचालन के पांचवें वर्ष के अंत में यूनिट का**

निगेटिव एनएफई 363.04 लाख रूपए है (निर्यात की बाध्यता को पूरा न करने के लिए यूनिट को दंडित करने हेतु अलग से कदम उठाया गया है)।

यूनिट ने अब लगभग 8 माह की अवधि बीत जाने के बाद 15 मार्च, 2013 से 5 साल के दूसरे ब्लॉक के लिए ईओयू स्टेटस का विस्तार करने की अनुमति प्रदान करने की मांग की है तथा इसका कारण यह बताया है कि 3 निदेशक बंगलौर से बाहर तैनात हैं जबकि चौथा निदेशक फरवरी से अक्टूबर, 2013 तक विदेश में था और यह कि विदेश से उसके लौटने के बाद ईओयू स्टेटस की अवधि बढ़ाने की मांग करने का निर्णय लिया गया।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने नोट किया है कि 14 मार्च, 2008 को समाप्त पहले 5 वर्ष की ब्लाक अवधि के अंत में एनएफई पॉजिटिव था। तथापि, 14 मार्च, 2013 को समाप्त दूसरे 5 वर्ष की ब्लाक अवधि के अंत में यूनिट का निगेटिव एनएफई 363.04 लाख रुपए है। यूनिट ने बताया है कि परिसरों में परिवर्तन तथा प्लांट एवं मशीनरी के संस्थापन से संबंधित समस्याओं के कारण उत्पादन में व्यवधान की वजह से पॉजिटिव एनएफई प्राप्त नहीं हो सका है। विस्तारित अवधि के अगले पांच वर्षों के लिए यूनिट ने 422 लाख रुपए के एनएफई का अनुमान व्यक्त किया है। निर्यात बाध्यता को पूरा न करने के लिए कारण बताओं नोटिस दिनांक 17 दिसंबर, 2013 जारी किया गया है।

एचबीपी के पैरा 6.2.9 के अनुसार जहां यूनिट 6 माह की अवधि बीत जाने के बाद जारी रखने का विकल्प प्रदान करती है, विकास आयुक्त अनुमोदन बोर्ड की मंजूरी प्राप्त करने के बाद विस्तार मंजूर करेगा।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने यह भी नोट किया है कि यूनिट को अपने परिसरों को व्हाइट फील्ड, बंगलौर से चिकबल्लापुर, कर्नाटक में परिवर्तित करना था और इस प्रक्रिया में साफ्टवेयर और हार्डवेयर की सुरक्षा और अपडेशन से संबंधित मुद्दे उत्पन्न हुए जिसकी वजह से उत्पादन में व्यवधान उत्पन्न हुआ। अब यूनिट उत्पादन पुन: शुरू करने के लिए तैयार है। यूनिट द्वारा बताई गई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा यूनिट के पिछले निष्पादन और अगले पांच वर्षों के लिए उनके अनुमानों को भी ध्यान में रखते हुए विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने कहा है कि अनुमोदन बोर्ड 15 मार्च, 2013 से अगले पांच वर्षों के लिए यूनिट को ईओयू स्टेटस प्रदान करने पर विचार कर सकता है।

तदनुसार, यूनिट का अनुरोध विचार के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखा गया है।

**2.3 आयातित सामग्री "आईपीएन कोर कोल्ड स्टोर पैनल'' के प्रापण के लिए अनुमति हेतु मैसर्स सर्वोकंट्रोल एयरो स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सीएसईजेड के तहत बेलगाम, कर्नाटक में 100 प्रतिशत ईओयू का प्रस्ताव**

उपर्युक्त यूनिट को एक्चुएटरमोटर तथा एंकोडर, मोटर और एंकोडर आदि के निर्यात के लिए 31 जनवरी, 2013 को विकास आयुक्त, सीएसईजेड द्वारा एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट ने 4 अप्रैल, 2013 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया।

यूनिट द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव "आईपीएन कोर कोल्ड स्टोर पैनल'' के आयात के लिए अनुमोदन के लिए है। ये पैनल भवन के तापमान को बनाए रखने में मदद करेंगे, जो मशीनरी के लिए निर्धारित है क्योंकि उत्पादन नियंत्रित तापमान में किया जाना है।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने सूचित किया है कि यूनिट ने अप्रैल, 2013 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया और अप्रैल से अक्टूबर, 2013 तक 7 माह की अवधि में 8.65 लाख रुपए मूल्य के माल का निर्यात किया है।

प्रक्रिया हैंडबुक के पैरा 6.5.1(ख)(2) में आयात किए जाने वाले सीजी की समावेशी परिभाषा दी गई है। "कोल्ड स्टोर पैनल'' जो भवन के तापमान को बनाए रखने के लिए अपेक्षित हैं, शामिल नहीं हैं। पैरा 6.5.1(च) के अनुसार अनुमोदन बोर्ड का अनुमोदन पैरा 6.5.1 के खंड (क) से (ड.) में असम्मिलित मदों के प्रापण के लिए अपेक्षित है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यूनिट को भवन में मशीनरी के लिए यथानिर्धारित तापमम बनाए रखने के लिए इस सामग्री की आवश्यकता है और उत्पादन नियंत्रित तापमान में किया जाना है, विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने सिफारिश की है कि लगभग 36,18,44 रुपए (58,362 अमरीकी डालर) मूल्य के कोल्ड स्टोर पैनल के आयात के लिए अनुरोध को अनुमोदन के लिए संस्तुत किया जाता है।

तदनुसार, यूनिट का अनुरोध विचार के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखा गया है।

2.4 न्यूनतम 3 वर्ष तक उनके अनुमति पत्र की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ईओयू का प्रस्ताव

यह यूनिट 1992 में स्थापित निर्यात उन्मुख यूनिट है और 1999 में उत्पादन शुरू किया तथा जनवरी, 2003 में प्लांट बंद हो गया। यूनिट बीमार हो गई तथा 26 जुलाई, 2006 को बीआईएफआर में पंजीकृत हो गई।

यूनिट के प्रचालन को फिर से चालू करने के लिए बीआईएफआर द्वारा पुनर्वास पैकेज के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अपनी तीसरी बैठक (2008 सीरीज) में अगले पांच वर्षों के लिए यूनिट के एलओपी के विस्तार को इस शर्त के साथ मंजूरी प्रदान की कि यदि कंपनी पांच साल की इस विस्तारित अवधि के दौरान भी अनिवार्य निर्यात की बाध्यताओं को पूरा करने में असमर्थ रहती है, तो कंपनी को उनके द्वारा पहले किए गए ड्यूटी फ्री आयात के संबंध में और/या अगले पांच वर्षों के दौरान निर्यात बाध्यता में कमी के संबंध में आयात शुल्क का भुगतान करना होगा।

यूनिट विस्तारित अवधि के दौरान भी पॉजिटिव एनएफई को पूरा करने में असमर्थ रही तथा यूनिट ने 2012 में ईओयू योजना से सैद्धांतिक रूप से बाहर निकलने के लिए आवेदन किया। वह विदेश व्यापार नीति 2009-14 के अनुसार निर्यात बाध्यता को पूरा करने में विफलता की सीमा तक ड्यूटी फ्री आयात के संबंध में केवल 52 लाख रुपए (लगभग) आयात शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। उसने उक्त शुल्क राशि पर लगाए गए 2 करोड़ रुपए के अतिरिक्त ब्याज को सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 132/2004 (अनुबंध-2) के अनुसार अनुचित माना।

इस संबंध में अभिशासी अधिसूचनाएं इस प्रकार हैं – अधिसूचना संख्या 52/2003 – सीमा शुल्क तथा अधिसूचना संख्या 22/2003 – सीई दिनांक 31 मार्च, 2003, जिसके अनुसार :

"सकारात्मक निबल विदेशी मुद्रा अर्जन प्राप्त करने में विफलता की स्थिति में उक्त माल पर लगाए जाने वाले शुल्क के अनुपात में परंतु इस अधिसूचना में निहित छूट के लिए शुल्क तथा इस प्रकार देय शुल्क उसी अनुपात में लागू होगा जो निबल विदेशी मुद्रा अर्जन में प्राप्त न किया गया अंश होगा तथा उस पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना में यथानिर्धारित दर से उक्त माल के प्रापण

**की तिथि से ऐसे शुल्क के भुगतान की तिथि तक ब्याज लगेगा, जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 (क, ख) के तहत जारी की गई है।"**

**इसके बाद, यूनिट ने डिबांडिंग के लिए अपने आवेदन को वापस लेने का अनुरोध किया तथा एनएफई की गणना के लिए ब्लाक वर्ष को एक साल तक बढ़ाने का निवेदन किया। तथापि, एनएसईजेड द्वारा यूनिट के विस्तार के लिए अनुरोध को निम्नलिखित आधार पर अस्वीकार कर दिया गया :**

- **कंपनी तीन वर्ष से अधिक समय तक प्रचालन में नहीं रही है।**
- **यह मामला निगरानी दिशानिर्देश (एचबीपी के तहत परिशिष्ट – 14-1-जी) के पैरा 4(1) द्वारा अभिशासित है।**
- **शुरू में अनुमोदन बोर्ड द्वारा सकारात्मक एनएफई की शर्त लगाई गई थी, जिसके प्राप्त न होने पर ड्यूटी का भुगतान किया जाना था। अत: छूट के मामले पर भी अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया जाना है।**

**अब यूनिट ने निम्नलिखित अनुरोध किया है :**

- **समयपूर्व डिबांडिंग के लिए आवेदन को वापस लेना / 100 प्रतिशत ईओयू योजना से यूनिट को बाहर निकालना।**
- **न्यूनतम 3 वर्ष तक एलओपी की अवधि बढ़ाना, जिसके लिए इसने 18 सितंबर, 2013 को समाप्त होने वाली उसकी वैधता अवधि के अंदर आवेदन किया है ताकि कंपनी सकारात्मक एनएफई प्राप्त करने में समर्थ हो सके।**

**तदनुसार, यूनिट का अनुरोध विचार के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखा गया है।**

**2.5 छह साल के बाद उनके अनुमति पत्र की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सीरीना रॉक्स प्राइवेट लिमिटेड, 100 ईओयू का प्रस्ताव**

**आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में पॉलिश्ड ग्रेनाइड स्लैब / टाइल्स, डाइमेन्सनल ब्लाक के विनिर्माण और निर्यात के लिए मैसर्स सीरीना रॉक्स प्राइवेट लिमिटेड, ईओयू को 18 अक्टूबर, 2006 को एलओपी जारी किया। यूनिट ने उत्पादन शुरू होने की घोषणा नहीं की है तथा कार्यान्वयन चरण के अधीन है। विकास आयुक्त द्वारा तीन साल की आरंभिक वैधता अवधि 17 अक्टूबर, 2011 तक अर्थात पांच साल की अवधि के लिए बढ़ाई गई तथा यूनिट ने 17 अक्टूबर, 2012 तक कार्यान्वयन चरण के तहत छठवां वर्ष पूरा किया।**

**यूनिट ने छठवें वर्ष के दौरान एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध नहीं किया। तथापि, अब उसने सातवें वर्ष के दौरान 18 दिसंबर, 2012 को एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।**

**एलओपी की अवधि बढ़ाए न जाने के कारण यूनिट ने अपना उत्पादन शुरू नहीं किया है। तथापि, सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, यूनिट ने सिविल कार्य कराया है तथा सेकेंड हैंड पूंजी माल का आयात किया है। विकास आयुक्त ने कहा है कि यदि एलओपी की अवधि बढ़ाई जाती है, तो यूनिट उत्पादन शुरू कर सकती है।**

**विदेश व्यापार नीति, 2009-14 के पैरा 6.6.1(क) के अनुसार, ऐसा उल्लेख है कि :**

किसी यूनिट के एलओपी की आरंभिक वैधता अवधि तीन साल होगी तथा इस समय तक उसे अपना उत्पादन शुरू करना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी द्वार अगले तीन साल तक उसकी वैधता अवधि बढ़ाई जा सकती है। तथापि, छह साल के बाद वैधता अवधि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पर विचार असाधारण परिस्थितियों में अनुमोदन बोर्ड द्वारा मामला दर मामला आधार पर किया जाएगा।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने तीन साल की अवधि के लिए अर्थात 17 नवंबर, 2014 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ान के मामले की सिफारिश की है।

तदनुसार, यूनिट का अनुरोध विचार के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखा गया है।

2.6 यूज्ड इलेक्ट्रानिक्स रि-फर्बीशिंग एवं रि-साइक्लिंग प्लांट की स्थापना के लिए मैसर्स अट्टेरो रि-साइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव

मैसर्स अट्टेरो रि-साइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड ने यूज्ड इलेक्ट्रानिक्स रि-फर्बीशिंग एवं रि-साइक्लिंग प्लांट स्थापित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। यूनिट ने वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रानिक इक्विपमेंट (डब्ल्यूईईई) जैसे कि पीसी और इसके पेरिफरल, लैपटॉप, सर्वर, प्रिंटर, टीएफटी, सेल फोन एचडीडी तथा नेटवर्क डिवाइस को प्रोसेस करने, रि-फर्बीस करने तथा निर्यात करने का प्रस्ताव किया है।

पांच वर्षों के लिए अनुमानित एनएफई 11816.55 लाख रुपए है।

अन्य पैरामीटर :

| | | |
|---|---|---|
| निर्यात | : | 13459.80 लाख |
| निवेश | : | 107.20 लाख |
| विदेशी इक्विटी | : | 4733.81 लाख |

यूनिट ने मूलत: बांडेड परिसरों से यूज्ड इलेक्ट्रानिक उपकरणों का संग्रहण करने, रि-फर्बीशिंग के लिए डिस्मेंटल करने, रि-फर्बीस करने, रि-फर्बीस्ड यूनिटों / उपकरणों को टेस्ट करने तथा रि-फर्बीस्ड यूनिटों का निर्यात करने का प्रस्ताव किया है। विनिर्माण शब्द के अभिप्राय में विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.36 के अनुसार रि-फर्बीशिंग शामिल है। कंपनी द्वारा संचालित किए जाने के प्रस्तावित गतिविधि ईओयू योजना के तहत विचार किए जाने के योग्य है।

विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.16 में निम्नानुसार वर्णन है :

"विदेशी मुद्रा में निर्यात के लिए रि-कंडीशनिंग, रिपेयर, रिमेकिंग, टेस्टिंग, कैलीब्रेशन, गुणवत्ता सुधार, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा रि-इंजीनियरिंग की गतिविधियों को संचालित करने के लिए अनुमोदन बोर्ड की मंजूरी से ईओयू / ईएचटीपी / बीटीपी यूनिटें स्थापित की जा सकती हैं। तथापि, ऐसी गतिविधियों पर विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.8, 6.9, 6.10, 6.13, 6.14 तथा एचबीपी खंड-1 के पैरा 6.28 लागू नहीं होंगे।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने कहा है कि एनएफई के प्रस्तुत किए गए अनुमानों पर समुचित रूप से विचार करते हुए तथा इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि डब्ल्यूईईई का स्रोत मुख्यत: देशज है, अनुमोदन बोर्ड मंजूरी के लिए प्रस्ताव पर विचार कर सकता है।

तदनुसार, यूनिट का अनुरोध विचार के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखा गया है।

**2.7 मौजूदा एलओपी में पूरक गतिविधि को शामिल करने के लिए मैसर्स एक्जो नोबल इंडिया लिमिटेड का प्रस्ताव**

**मैसर्स एक्जो नोबल इंडिया लिमिटेड का प्रस्ताव ने अपनी वर्तमान गतिविधि में पूरक गतिविधि (कैलिब्रेशन टेस्टिंग / प्रमाणन / पुन: प्रमाणन सेवा जिसमें एफओसी आधार पर नए / प्रयुक्त लैब उपकरण का आयात शामिल है) के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। अनुसंधान, नवाचार तथा उत्पाद विकास, रंग विकास जैसी सेवाओं के लिए 2003 में यूनिट को एलओपी प्रदान किया गया था।**

**अब यूनिट ने पूरक गतिविधि शामिल करने के लिए अनुरोध किया है : कैलिब्रेशन टेस्टिंग / प्रमाणन / पुन: प्रमाणन सेवा जिसमें एफओसी आधार पर नए / प्रयुक्त लैब उपकरण का आयात शामिल है। अब तक यह कार्य नीदरलैंड में यूनिट के वैश्विक मुख्यालय द्वारा किया जा रहा था। चूंकि बिलिंग मानव घंटा आधार पर की जाती है, यूनिट अतिरिक्त रोजगार का सृजन करेगी। विदेशी मुद्रा का कोई बर्हिप्रवाह नहीं होगा।**

**पांच वर्ष की पहली ब्लाक अवधि के अंत में (3 नवंबर, 2008) यूनिट का सकारात्मक एनएफई 3137 लाख रुपए था तथा पांच वर्ष की दूसरी ब्लाक अवधि के अंत में (30 नवंबर, 2013) यह 8127.70 लाख रुपए था।**

**तथापि, विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.16 के अनुसार अनुमोदन बोर्ड की मंजूरी से कुछ शर्तों के अधीन ऐसी गतिविधियां अनुमत की जा सकती हैं।**

**विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने कहा है कि इसे ध्यान में रखते हुए और चूंकि कैलिब्रेशन टेस्टिंग / प्रमाणन / पुन: प्रमाणन सेवा की प्रस्तावित गतिविधि पर ईओयू योजना के तहत प्रचालन के लिए विचार किया जा सकता है, अनुमोदन बोर्ड द्वारा मंजूरी के लिए यूनिट के अनुरोध की सिफारिश की जाती है।**

**तदनुसार, यूनिट का अनुरोध विचार के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखा गया है।**

**2.8 समान समूह के अंदर विभिन्न कंपनियों से निर्यात लदान के समेकन के लिए मैसर्स कांबिटिक ग्लोबल कैपलेट प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव**

**पीएंडपी मेडिसीन और ड्रग के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए 2012 में मैसर्स कांबिटिक ग्लोबल कैपलेट प्राइवेट लिमिटेड को एलओपी जारी किया गया है। यूनिट का एनएफई 4106.82 लाख रुपए है।**

**अपने निर्मित माल से संबंधित निर्यात के कुछ विशिष्ट आर्डर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूनिट स्वयं द्वारा निर्मित माल के साथ जहां है, जैसा है, के आधार पर उसके निर्यात के लिए कुछ पीएंडपी मेडिसीन और आर्गेनिक केमिकल का आयात करने या डीटीए से प्रापण करने का इरादा रखती है। यूनिट द्वारा निर्यात के दस्तावेजों में ऐसे अधिप्राप्त / आयातित माल तथा यूनिट द्वारा विनिर्मित माल का ब्यौरा अलग से सूचीबद्ध किया जाएगा।**

**विशेष मामले के रूप में, अनुमोदन बोर्ड के पास ऐसे माल के समेकन को अनुमत करने की शक्ति है जो विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.2(1) के माध्यम से विनिर्मित वस्तु से संबंधित हैं। यह प्रावधान मूलत: ऐसे माल का समेकन करने में निर्यातक को सुगमता प्रदान करने के लिए है, जो विनिर्मित वस्तु का हिस्सा हैं तथा इसका उद्देश्य विनिर्मित माल को विपणन के योग्य बनाना है।**

**विदेश व्यापार नीति का पैरा 6.2(1) यहां प्रस्तुत किया गया है :**

**"अनुमोदन बोर्ड मामला दर मामला आधार पर विनिर्मित वस्तु के साथ विनिर्मित से संबंधित माल के समेकन और उसके निर्यात के लिए रत्न एवं आभूषण से भिन्न क्षेत्र में ईओयू / ईएचटीपी / एसटीपी / बीटीपी यूनिट के अनुरोध को अनुमत कर सकता है। पिछले वित्त वर्ष में यूनिट द्वारा आयात किए गए ऐसे विनिर्मित माल के एफओबी मूल्य के 5 प्रतिशत तक ड्यूटी के भुगतान के बगैर ईओयू द्वारा डीटीए से ऐसे माल के आयात / प्रापण को अनुमत किया जा सकता है। निर्यात के दस्तावेजों में ईओयू द्वारा अधिप्राप्त / आयातित माल तथा विनिर्मित वस्तु के ब्यौरे अलग-अलग दर्ज किए जाएंगे। ऐसे मामले में, अधिप्राप्त / आयातित माल के मूल्य को एनएफई की गणना, डीटीए बिक्री की पात्रता में शामिल नहीं किया जाएगा तथा ऐसे अधिप्राप्त / आयातित माल से उत्पन्न लाभ आय कर लाभ के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसे अधिप्राप्त / आयातित माल को डीटीए में बेचने की अनुमति नहीं होगी। अनुमोदन बोर्ड कोई अन्य शर्त भी निर्दिष्ट कर सकता है।"**

**विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार के लिए मामले की सिफारिश की है।**

**तदनुसार, यूनिट का अनुरोध विचार के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखा गया है।**

**2.9 एलओपी की अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स टॉरस एगिल टेक्नोलॉजी कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव**

**टरबाइन कंपोनेंट, मशीन कंपोनेंट, औद्योगिक उपकरण, आटोमोटिव कंपोनेंट के विनिर्माण और निर्यात के लिए 2007 में मैसर्स टॉरस एगिल टेक्नोलॉजी कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, मोहाली, पंजाब में 100 प्रतिशत ईओयू को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट ने 2008 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया तथा 26 दिसंबर, 2013 को पांच वर्ष का ब्लाक पूरा किया।**

**यूनिट ने अगले पांच साल के एलओपी के नवीकरण के लिए अनुरोध किया है। पिछले पांच वर्षों की अवधि में यूनिट का निष्पादन नीचे दिया गया है :**

| | | |
|---|---|---|
| **कुल निर्यात** | **:** | **963.49 लाख रुपए** |
| **कुल आयात** | **:** | **4746.68 लाख रुपए** |
| **एनएफई** | **:** | **(-) 3783.19 लाख रुपए** |

**चूंकि यूनिट का एनएफई निगेटिव है, विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने विचार के लिए अभ्यावेदन को इस विभाग के पास अग्रेषित किया है।**

**निगेटिव एनएफई के बावजूद एलओपी के नवीकरण के लिए यूनिट का अनुरोध निम्नलिखित बातों पर आधारित है :**

1. **इसके द्वारा संचालित गतिविधियों की परिपक्वता अवधि लंबी है।**
2. **इसने विलंब से महत्वपूर्ण आर्डर प्राप्त करने में सफलता हासिल की है तथा उम्मीद है कि पाजिटिव एनएफई प्राप्त हो जाएगा।**

**विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने कहा है कि चूंकि यूनिट का एनएफई निगेटिव है, इसलिए नवीकरण के अनुरोध पर विचार करने के लिए उसके पास शक्ति नहीं है।**

विदेश व्यापार नीति, 2009-14 के पैरा 6.5 के अनुसार, जब भी कोई यूनिट एलओपी में वर्णित किसी उत्पाद के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध / निषेध के कारण निर्यात करने में असमर्थ होती है, तो एनएफई अर्जन की गणना के लिए पांच साल की ब्लाक अवधि को अनुमोदन बोर्ड द्वारा उपयुक्त ढंग से बढ़ाया जा सकता है।

तदनुसार, यूनिट का अनुरोध विचार के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखा गया है।

2.10 दालों की प्रोसेसिंग और निर्यात फिर से शुरू करने की अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स उमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, हावड़ा, पश्चिम बंगाल में एफएसईजेड के तहत ईओयू का प्रस्ताव

दालों के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए विकास आयुक्त, एफएसईजेड द्वारा हावड़ा में 100 प्रतिशत ईओयू यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स उमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड को 23 जुलाई, 2009 को एलओपी जारी किया गया। यूनिट ने सूचित किया कि सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने दालों के निर्यात के उसके कंसाइनमेंट को इस आधार पर जब्त कर लिया है कि विदेश व्यापार नीति के तहत दालों का निर्यात निषिद्ध है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा प्रदान की गई कार्योत्तर स्वीकृति पर सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा विचार नहीं किया गया।

डीजीएफटी की अधिसूचना दिनांक 14 नवंबर, 2013 (अनुबंध-3) के माध्यम से ईओयू यूनिटों के संदर्भ में निषिद्ध मदों के निर्यात को अनुमत करने के लिए विदेश व्यापार नीति में संशोधन किया गया है, बशर्ते, डीटीए से कच्चे माल का कोई प्रापण न हो। संशोधित पैरा 6.2(क)(1) नीचे प्रस्तुत है :

"ईओयू / ईएचटीपी / एसटीपी / बीटीपी यूनिट आईटीसी (एचएस) में वर्जित मदों को छोड़कर सभी प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात कर सकती है। विशेष रसायनों, अवयवों, सामग्रियों, उपकरणों तथा प्रौद्योगिकी (स्कोमेट) का निर्यात आईटीसी (एचएस) में उल्लिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगा। ईओयू के संबंध में, अनुमोदन बोर्ड द्वारा किसी निषिद्ध मद के निर्यात को अनुमत करने पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते, ऐसे कच्चे माल का आयात किया जाए और डीटीए ऐसे कच्चे माल का कोई प्रापण न हो।"

अधिसूचना में इस बात का भी उल्लेख है कि जहां तक इस अधिसूचना के प्रभाव का संबंध है, निर्यात के लिए निषिद्ध कुछ मदों को अग्रिम प्राधिकार योजना के तहत निर्यात के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन अनुमत किया जा सकता है। अनुमोदन बोर्ड ईओयू से निषिद्ध मद के निर्यात के लिए अनुरोध पर विचार कर सकता है।

विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार के लिए इस मामले को उसके समक्ष रखने की सिफारिश की है तथा कहा है कि सीमा शुल्क आयुक्त के साथ कई बार इस मामले पर चर्चा हो चुकी है परंतु मौखिक तौर पर उन्होंने कहा है कि किसी अधिसूचना के अभाव में यह अनुमत नहीं होगा।

तदनुसार, यूनिट का अनुरोध विचार के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखा गया है।

**भाग-3**

## 1995 के प्रेस नोट संख्या 3 के अनुसार प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत विकास आयुक्त द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदनों की अनुमोदन बोर्ड द्वारा पुष्टि

| क्रम सं. | प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किए गए अनुमोदन | मामलों की सं. | क्षेत्र | अनुबंध |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सितंबर, 2013 – जनवरी, 2014 | 4 | वीएसईजेड | 4 |
| 2 | सितंबर, 2013 – नवंबर, 2013 | 10 | एमईपीजेड | 5 |
| 3 | जुलाई, 2013 – नवंबर, 2013 | 8 | केएएसईजेड | 6 |
| 4 | शून्य | 0 | एफएसईजेड | 7 |
| 5 | शून्य | 0 | आईएसईजेड | 8 |
| 6 | अक्टूबर, 2013 – नवंबर, 2013 | 9 | सीएसईजेड | 9 |
| 7 | सितंबर, 2013 – दिसंबर, 2013 | 3 | एसईईपीजेड | 10 |
| 8 | अप्रैल, 2007 – मार्च, 2010 | 59 | एनएसईजेड | 11 |

**भाग-4**

**निजी सुनवाई के लिए अपील के मामले**

**4.1 विकास आयुक्त, एनएसईजेड द्वारा पारित किए गए आदेश के विरुद्ध मैसर्स परमेश्वर क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड, फेज 2, नोएडा में 100 प्रतिशत ईओयू द्वारा दाखिल की गई अपील**

रेडीमेड गारमेंट, फर्निशिंग और असेसरीज के विनिर्माण और निर्यात के लिए मैसर्स परमेश्वर क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड को 31 मार्च, 2006 को एलओपी प्रदान किया गया है। यूनिट ने एक साल के लिए एलओपी की अवधि बढ़ाने की मांग की जिस पर 31 मार्च, 2010 तक विचार किया गया। यूनिट ने पुन: 29 मार्च, 2011 को दो साल के लिए अवधि बढ़ाने की मांग की तथा बताया कि उन्होंने 23 जनवरी, 2010 को कस्टम बांडिंग के लिए आवेदन किया है। चूंकि यूनिट ने कस्टम बांडिंग के तहत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कोई सूचना नहीं दी है तथा कोई तिमाही प्रगति रिपोर्ट / वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है, एलओपी की अवधि और बढ़ाने पर विचार नहीं किया गया तथा विकास आयुक्त, एनएसईजेड द्वारा एलओपी निरस्त कर दिया गया। यूनिट ने इस निरसन के विरूद्ध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील की। अनुमोदन बोर्ड ने 12 जून, 2013 को आयोजित अपनी बैठक में निजी सुनवाई के लिए अपील को निर्धारित किया। तथापि, निजी सुनवाई के लिए यूनिट से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। अनुमोदन बोर्ड ने यह कहते हुए आदेश पारित किया कि विकास आयुक्त, एनएसईजेड को निदेश दिया जाता है कि वे यूनिट को निजी सुनवाई का एक और अवसर प्रदान करें, मामले से संबंधित सभी मुद्दों पर विचार करें तथा एक माह के अंदर स्थाई आदेश पारित करें। यदि यूनिट विकास आयुक्त के आदेश से संतुष्ट न हो, तो वह अनुमोदन बोर्ड से संपर्क कर सकती है।

अनुमोदन बोर्ड के उपर्युक्त निदेश के अनुसरण में 9 जुलाई, 2013 को यूनिट को निजी सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया जिसमें यूनिट ने भाग नहीं लिया तथा 17 जुलाई, 2013 को निजी सुनवाई का एक और अवसर प्रदान किया गया। निजी सुनवाई के लिए यूनिट से दो प्रतिनिधि उपस्थित हुए परंतु उन्होंने वर्ष 2005-06 से 2011-12 के लिए तुलनपत्र प्रस्तुत नहीं किया, जो एलओपी की वैधता तथा ईओयू के प्रचालन पर निर्णय के लिए अनिवार्य रूप से अपेक्षित होता है।

30 अगस्त, 2013 को आयोजित चौथी बैठक में अनुमोदन बोर्ड को तुलनपत्र प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में तथ्यात्मक स्थिति से अवगत कराया गया। अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, एनएसईजेड को निदेश दिया कि वे यूनिट को निजी सुनवाई का अवसर प्रदान करें तथा स्थई आदेश पारित करें।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने उपर्युक्त मामले के संदर्भ में 4 अक्टूबर, 2013 को स्थाई आदेश पारित किया। विकास आयुक्त ने अपीलकर्ता को निजी सुनवाई का अवसर प्रदान किया है तथा रिकार्डों के अवलोकन के आधार पर पाया गया कि यूनिट ने ईओयू स्थापित करने से संबंधित प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं को लागू नहीं किया है। अपने अंतिम आदेश में उसने निम्नानुसार व्यक्त किया है :

(i) यह कि यूनिट का एलओपी नवीकृत नहीं किया गया है और इसलिए निरस्त समझा जा रहा है।

(ii) यह कि यूनिट के आईईसी (आयात / निर्यात लाइसेंस) को छह माह की अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। एनएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक 30 अक्टूबर, 2013 के निलंबन में यह आदेश पारित किया गया है।

(iii) यह कि यूनिट पर 75 लाख रुपए का दंड लगाया गया है।

(iv) यह कि उपयुक्त क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारियों द्वारा निर्यात के विरूद्ध ड्यूटी ड्राबैक तथा डीटीए क्लीयरेंस की जांच की जानी चाहिए।

अब यूनिट ने उपर्युक्त स्थाई आदेश (अनुबंध-13) के विरूद्ध अपील (अनुबंध-12) दाखिल की है जिसमें मूलत: उसके आईईसी कोड (अनुबंध-14) के निलंबन तथा 75 लाख रुपए के लगाए गए जुर्माने को चुनौती दी गई है।

बोर्ड द्वारा विचार के लिए उसके समक्ष अपील प्रस्तुत है।

## भाग-5
## टेबल एजेंडा की मदें

**5.1 मैसर्स सिनर्जी कास्टिंग लिमिटेड, वीएसईजेड के तहत ईओयू के संबंध में 16 अप्रैल, 2014 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाना**

वीएसईजेड ने मैसर्स सिनर्जी कास्टिंग लिमिटेड के प्रस्ताव को अग्रेषित किया है जिसमें (1) 16 अप्रैल, 2014 के बाद पट्टा करार की वैधता अवधि बढ़ाने, (2) 17 अप्रैल, 2014 से 4 साल की अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने, और (3) वीएसईजेड के परिसर के माध्यम से भारी कंटेनर की आवाजाही को अनुमत करने की मांग की गई है।

अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार के लिए प्रस्ताव संलग्न है।

**5.2 ईओयू योजना के तहत प्लास्टिक रि-साइक्लिंग यूनिटों की एलओपी का विस्तार**

केएएसईजेड ने ईओयू योजना के तहत 31 मार्च, 2014 के बाद प्लास्टिक रि-साइक्लिंग यूनिटों की एलओपी के विस्तार के लिए प्रस्ताव अग्रेषित किया है। प्रस्ताव में केएएसईजेड के तहत प्रचालन करने वाली पांच ईओयू प्लास्टिक रि-साइक्लिंग यूनिटों की एलओपी का विस्तार शामिल है।

अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार के लिए प्रस्ताव संलग्न है।